पत्र सूचना शाखा,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

राज्यपाल ने प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखने की अपील की

नागरिकता संशोधन कानून को समझें, भ्रम की स्थिति न उत्पन्न होने दें

हिंसा एवं सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान न करें – राज्यपाल

लखनऊ : 21 दिसम्बर, 2019

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों में हो रहे हिंसक प्रदर्शन एवं सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के दृष्टिगत नागरिकों से शांति–व्यवस्था बनाये रखने की अपील की है।

प्रदेशवासियों के नाम अपनी अपील में राज्यपाल ने कहा है कि हिंसा, आगजनी एवं सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है। इससे जान–माल की हानि सहित बच्चों की पढ़ाई एवं रोगियों के उपचार में व्यवधान उत्पन्न होता है तथा आम नागरिकों को भी परेशानी होती है।

श्रीमती पटेल ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के प्राविधान से किसी भी नागरिक का हित प्रभावी नहीं होगा। भ्रम की स्थिति न उत्पन्न होने दें तथा अफवाहों से दूर रहे। इस विषय में किये जा रहे दुष्प्रचार से प्रभावित न हों।

ओ0पी0राय/राजभवन (100/15)